Title: Need to write off loans of weaver in the State of Bihar.

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया): सभापति जी, मैं आपने माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बिहार राज्य के बुनकरों के ऋण माफी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार ने राहत ऋण योजना १९९० की घोषणा कर बुनकरों एवं कारीगरों के ऋण माफी प्रक्रिया शुरू कराई जिसके अन्तर्गत हमारे बिहार राज्य के भी अनेक जिलों में १० हजार तक दिये गये ऋण बुनकरों को माफ किए जा चके हैं। सचिव सहकारिता विभाग बिहार, पटना ने भी दिनांक १३.६.९० के दैनिक पत्र ‘हिंदुस्तान’ के माध्यम से घोषणा की थी कि अगर बुनकरों एवं कारीगरों के परिसम्पत्ति का नुकसान किसी कारण हुआ हो तो उन्हें भी कर्ज के बोझ से राहत दी जायेगी, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का मामला हमारे बिहार राज्य के ‘गया’ अन्तर्गत मानपुर जो वस्त्र उत्पादन का एक मुख्य केन्द्र है। यहां हजारों-हजार बुनकर कुटीर उद्योग लगाकर अपना स्वरोजगार कर रहे हैं एवं पिछड़े तथा गरीब लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। यहां के कुछ बुनकरों के साथ सौतेला व्यवहार कर उपरोक्त योजना के लाभ से उन्हें वंचित कर दिया गयै है। यह मामला मगध सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, गया से संबंधित है।

… (व्यवधान)